II.

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्याः 1961/VII-II/123–उद्योग/08
देहरादूनः दिनांकः 15 अक्टूबर, 2008

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग की अधिसूचना संख्या–488/VII-II–08/08 दिनांक 29 फरवरी, 2008 द्वारा 01 अप्रैल, 2008 से प्रभावी विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008 के क्रियान्वयन हेतु पर्वतीय क्षेत्रों/जनपदों के लिए औद्योगिक नीति में घोषित अनुदान सुविधाओं/रियायतों व नीति के अन्य बिन्दुओं के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश/नियम गठित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा अवधि

1. यह दिशा–निर्देश/नियम **विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नियमावली**–2008 कहलायेगी।
2. यह नियमावली दिनांक 1 अप्रैल, 2008, जैसा कि अधिसूचना दिनांक 29 फरवरी, 2008 में अधिसूचित है से प्रवर्त होकर दिनांक 31 मार्च, 2018 तक प्रभावी रहेगी।

पर्वतीय क्षेत्रों का वर्गीकरण

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–488/VII-II-08/08 दिनांक 29 फरवरी, 2008 के प्रस्तर–2 में योजनान्तर्गत अनुदान सहायता/छूट की अनुमन्यता/पात्रता के लिये दूरस्थ व पर्वतीय क्षेत्रों को निम्नानुसार दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया हैः–

(i) **श्रेणी–एः** जनपद पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग तथा चम्पावत।

(ii) **श्रेणी–बीः** जनपद पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, बागेश्वर का सम्पूर्ण भू–भाग, जनपद नैनीताल(हल्द्वानी व रामनगर विकासखण्ड को छोड़कर) तथा जनपद देहरादून (विकासनगर, डोईवाला, रायपुर व सहसपुर विकासखण्ड को छोड़कर) इन जनपदों के अन्य सभी पर्वतीय बहुल विकासखण्ड।

परिभाषा

1. **सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम**

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम से अभिप्रेत है, ऐसा उद्यम जो सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 के अध्याय–3, धारा–7 में दी गई परिभाषा के अन्तर्गत आता हो तथा जिसके लिए उद्यम की स्थापना का आशय रखने अथवा उद्यम स्थापित करने के उपरान्त सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र में उद्यमी ज्ञापन भाग–1 व भाग–2 फाइल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की गयी होः–

(i) विनिर्माणक/उत्पादक उद्यमः–

उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग से सम्बन्धित माल के विनिर्माण या उत्पादन में लगे उद्यमों की दशा में, जैसेः–

(क) एक सूक्ष्म उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पच्चीस लाख रूपये से अधिक न हो।

(ख) एक लघु उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पच्चीस लाख रुपए से अधिक हो किन्तु पांच करोड़ से अधिक न हो, या

(ग) एक मध्यम उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पांच करोड़ रूपए से अधिक हो परन्तु दस करोड़ रूपए से अधिक न हो।

(ii) सेवा प्रदाता उद्यम:–

सेवा प्रदाता उद्यम से तात्पर्य ऐसे उद्यम से है, जिसे सूक्ष्म, लघु तथा मध्यन उद्यम विकास अधिनियम–2006 में परिभाषित किया गया हो तथा जिसके सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचनायें जारी की गई हों।

सेवायें प्रदान करने या उपलब्ध कराने में लगे उद्यमों की दशा में,

(क) एक ऐसे सूक्ष्म उद्यम के रूप में जहां उपकरण में विनिधान दस लाख रूपये से अधिक न हो,

(ख) एक ऐसे लघु उद्यम के रूप में जहां उपकरण में विनिधान दस लाख रूपए से अधिक हो किन्तु दो करोड रूपये से अधिक न हो; या

(ग) एक ऐसे मध्यम उद्यम के रूप में जहां उपकरण में विनिधान दो करोड़ रूपये से अधिक हो किन्तु पांच करोड़ से अधिक न हो।

2. **बृहत औद्योगिक इकाई:**

बृहत औद्योगिक इकाई से अभिप्रेत है, ऐसी औद्योगिक इकाई जिसका पूंजी निवेश सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 के अध्याय–3, धारा–7 में सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यमों हेतु निर्धारित पूंजी निवेश से अधिक हो तथा जिसके लिए भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आई.ई.एम./एस.आई.ए./औद्योगिक लाइसेंस/ आशय–पत्र (जैसी स्थिति हो) फाइल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की गई हो।

3. **बृहत परियोजना (Mega Project):**

बृहत परियोजना से आशय ऐसी औद्योगिक परियोजना से है जिसमें स्थायी परिसम्पत्तियों में 1 अप्रैल, 2008 के पश्चात् रू. पांच करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश किया गया हो तथा सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र अथवा भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से एस.आई.ए./आई.ई.एम./आशय–पत्र (जैसी स्थिति हो) में औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (IEM) फाइल कर उसकी अभिस्वीकृति (acknowledgement) प्राप्त हो।

विनिर्माणक/उत्पादक तथा सेवा क्षेत्रके चिन्हित उद्यम

अधिसूचना दिनांक 29 फरवरी, 2008 के प्रस्तर–13 में दिये गये निर्देशों के अनुसरण में प्रस्तर–1 में उल्लिखित विनिर्माणक/उत्पादक (manufacturing) तथा सेवा क्षेत्र के चिन्हित उद्यमों का विवरण निम्नवत् है:–

1. **हरित तथा नारंगी प्रवर्ग के अप्रदूषणकारी विनिर्माणक उद्योग:**

(i) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के परिपत्र/शासनादेश सं0–2164/37/एआरएन/97 दिनांक 3–6–97 की अनुसूची–1 में प्रवर्गीकृत अप्रदूषणकारी 220 हरित प्रवर्ग के चिन्हित उद्योग/उद्यम।

(ii) दून घाटी अधिसूचना, 1989 में लाल श्रेणी के अन्तर्गत प्रवर्गीकृत निम्नांकित उत्पादक उद्यमों को छोड़कर अन्य सभी उद्यमों को हरित तथा नारंगी प्रवर्ग के अप्रदूषणकारी उद्यम के रूप में चिन्हित किया गया है:–

1 Aluminium smelter

2 Distillery including Fermentation industry

3 Dyes and Dye-intermediates.

4 Fertilizer.

5 Iron and Steel (Involving processing from ore/ scrap/ Integrated steel plants)

6 Oil refinery (Mineral oil or Petro refineries)

7 Pesticides (Technical) (excluding formulation)

8 Petrochemicals (Manufacture of and not merely use of as raw material)

9 Paper, Straw Board, Pulp Card Board (Paper manufacturing with pulping)

10 Tanneries

11 Thermal Power Plants

12 Zinc smelter

13 Ceramic/Refractores.

14 Chemical, Petrochemical and Electrochemicals including manufacture of acids such as Sulphuric Acid, Nitric Acid, Phosphoric Acid etc.

15 Chlorates, Perchlorates and Peroxides.

16 Chlorine, Fluorine, Bromine, Iodine and their Compounds.

17 Coke making, coal liquefaction, Coaltar distillation or fuel gas making

18 Explosives including detonators, fuses etc.

19 Fire crackers.

20 Industrial carbon including electrodes and graphite blocks, activated carbon, carbon black etc.

21 Industry or process involving eletroplating operations.

22 Lead re-processing & manufacturing including lead smelting.

23 Mining and ore-beneficiation

24 Phosphate rock processing plants

25 Phosphorous and its compounds.

26 Potable alcohol (IMFL) by blending or distillation of alcohol, Distilleries and Brewaries

27 Slaughter houses and meat procesing units.

28 Steel and steel products including coke plants involving use of any of the equipment's such as blast furnaces, open hearth furnace, induction furnace or arc furnace etc. or any of the operations or processes such as heat treatment, acid pickling, rolling or galvanising etc.

29 Stone Crushers

30 Synthetic detergent and soap.

31 Tobacco products including cigarettes and tobacco processing.

32 Synthetic Rubber.

33 Chemicals

34 Glass

35 Galvanising, Heat treatment, induction heating running on continuous basis.

36 Aluminium refining and manufacturing

37 Sulphuric Acid with contact process.

38 Vanaspati involving Hydrogenation process (not applicable to refined oils)

39 Chemical Fertilizers.

40 Drug Manufacturing Industries having fermentaion process and having contracted load more than 1 MVA

2. **विशेष प्रोत्साहन पैकेज के अन्तर्गत अधिसूचित थ्रस्ट सैक्टर उद्योगः**

भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग) के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1(10)/2001–एनईआर दिनांक 7 जनवरी, 2003 के एनेक्चर–2 में उल्लिखित थ्रस्ट सैक्टर उद्योगों की चिन्हित गतिविधियाँ।

3. **प्रदेश सरकार से उद्योग का दर्जा प्राप्त गतिविधियाँः**

(i) औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–812/अ0वि0/2003 दिनांक 29 अक्टूबर, 2003 में अधिसूचित पुष्पकृषि (Floriculture) व्यवसाय।

(ii) औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–926/अ0वि0/04–05 दिनांक 25 नवम्बर, 2004 में अधिसूचित निर्धारित प्रजनन/वार्षिक क्षमता वाले परिक्षेत्र में विद्युत का उपयोग बॉयलर/लेयर/अण्डा उत्पादन हेतु केन्द्रित रूप से किये जाने वाला व्यवसायिक (Commercial) कुक्कुटपालन।

(iii) पर्यटन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–483/VI/2004–333 (पर्य0)/2003 दिनांक 17 जुलाई, 2004 द्वारा उद्योग का दर्जा प्राप्त पर्यटन गतिविधियाँ।

(iv) प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–406/XVI/04/298/2002 दिनांक 17 मई, 2002 में उल्लिखित राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड/राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड/कृषि और प्रसंस्कृत खादय उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण तथा खादय प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में पात्रता रखने वाली गतिविधियाँ।

4. **पूर्वोत्तर राज्य के लिये घोषित विशेष औद्योगिक पैकेज–2007 में सम्मिलित सेवा क्षेत्र की गतिविधियाँः**

(i) भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग) की अधिसूचना संख्या–1 (13)/2003–एसपीएस दिनांक 14 सितम्बर, 2004 तथा शुद्धीपत्र दिनांक 16 सितम्बर, 2004 में परिभाषित पारिस्थितिक पर्यटन गतिविधियाँ, जिनमें होटल, रिसॉर्ट, स्पा, मनोरंजन/amusement पार्क तथा रोप–वे सम्मिलित हैं।

(ii) पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अधिसूचित पारिस्थितिक पर्यटन गतिविधियाँ।

<u>स्पष्टीकरण</u>

(1) होटल में किराये पर देने योग्य न्यूनतम 08 कमरों का आवश्यक सुविधाओं युक्त व्यवसायिक भवन।

(2) होटल भवन निर्माण पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त तथा उचित पहुंच वाले स्थल पर हो।

(3) होटल में निर्मित कक्षों का आकार एवं क्षेत्रफल स्थानीय उपनियमों तथा मानकों के अनुरूप हों।

(4) होटल के कम से कम 50 प्रतिशत कक्षों में attached स्नानगृह/प्रसाधन/शौचालय की सुविधा हो।

(5) होटल के शेष 50 प्रतिशत कक्षों के लिये भी समुचित प्रसाधन/स्नानगृह/शौचालय की व्यवस्था हो।

(6) होटल में ठण्डे/गरम पानी की आपूर्ति की समुचित व्यवस्था हो।

(7) होटल में टेलीफोन सुविधा युक्त स्वागत कक्ष हो तथा होटल का फर्नीचर साफ व आरामदायक हो।

(8) होटल का भोजनालय स्वच्छ, हवादार, आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित हो तथा होटल में स्वच्छता हेतु पर्याप्त व्यवस्था हो।

(9) खेल तथा पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा साहसिक एवं अवकाशकालीन खेलों में अनुमोदित गतिविधियाँ।

(10) केबिल कार तथा ट्रॉली युक्त रोप–वे।

(11) **विद्युत प्रतिपूर्ति सहायता** हेतु पात्र गतिविधियां तत्सम्बन्धी योजनाओं की गाईड–लाइन्स के अनुरूप होंगी।

(iii) **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं युक्त नर्सिंग होमः–**

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अनुमोदित सुविधाओं युक्त नर्सिंग होम/चिकित्सालय।

(1) नगरपालिका तथा टाउन एरिया के अन्तर्गत स्थापित आधुनिक पद्धति के चिकित्सा उपकरण, एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड, क्लीनिकल पैथोलॉजी, टीकाकरण, सुरक्षित प्रसव की सुविधा, ऑपरेशन थियेटर, औषधि भण्डार तथा आपातकालीन सुविधाओं युक्त 10 बिस्तरों वाला नर्सिंग होम/चिकित्सालय, जिनमें कम से कम एक शल्य/काय चिकित्सा विशेषज्ञ सहित दो सामान्य चिकित्सक (जिनकी न्यूनतम अर्हता एम.डी./एम.एस./एम.बी.बी.एस./बी.आई.एम.एस. अथवा चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सक की डिग्री हो) आवश्यक प्रशिक्षित महिला/पुरुष सहायक पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध हों।

(2) नगरपालिका तथा टाउन एरिया की परिधि से न्यूनतम 20 कि.मी. से अधिक की दूरी पर स्थापित आधुनिक पद्धति के आवश्यक चिकित्सा उपकरण, सुरक्षित प्रसव की सुविधा, टीकाकरण, ई.सी.जी. तथा आवश्यक जीवन रक्षक दवायें एवं आपातकालीन सुविधाओं युक्त 5 बिस्तरों वाला नर्सिंग होम/चिकित्सालय, जिनमें कम से कम एक एम.बी.बी.एस. डिग्री धारक चिकित्सक (Physician) तथा एक प्रशिक्षित महिला नर्स एवं दो अन्य सहायक पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध हो।

(3) आयुर्वेदिक, यूनानी, होमियोपैथी तथा पंचकर्म पद्धति से चिकित्सा एवं उपचार के लिये स्थापित चिकित्सा केन्द्र भी नर्सिंग होम की श्रेणी में आयेंगे, किन्तु इसके लिये आयुर्वेदिक,

यूनानी, होमियोपैथी चिकित्सा परिषद, जहाँ से भी अनुज्ञा/पंजीकरण/अनुमोदन वांछित हो, प्राप्त कर सम्बन्धित पद्धति से चिकित्सा एवं उपचार के लिये निर्धारित मानकों एवं दिशा–निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया हो।

(4) नर्सिंग होम की स्थापना के लिये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय/चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों/दिशा–निर्देशों का पालन करना पूर्णतः अनिवार्य होगा।

(5) नर्सिंग होम में चिकित्सा एवं उपचार के लिये सम्बन्धित अधिनियम/नियमों के अधीन केन्द्रीय/प्रादेशिक चिकित्सा एवं अनुसंधान परिषद, जहाँ से भी अनुज्ञा/पंजीकरण/अनुमोदन वांछित हो, प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(iv) **व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थानः–**

(1) भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय(नीति एवं संवर्द्धन विभाग) की अधिसूचना संख्या–10(3)/ 007–डीवीए–II/ एनईआर दिनांक 21 सितम्बर, 2007 में प्रस्तर–1(v) में व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान के अन्तर्गत उल्लिखित होटल प्रबन्धन, कैटरिंग तथा फूड क्राफ्ट्स, उद्यमिता विकास, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल, नागरिक उड्डयन से सम्बन्धित प्रशिक्षण, फैशन डिजाईनिंग, औद्योगिक एवं कौशल विकास गतिविधियाँ।

(2) व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थान अथवा प्रादेशिक तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा परिषद से पंजीकृत/सम्बद्धता (Affiliation) होनी आवश्यक है तथा प्रशिक्षण का स्तर मान्यता प्राप्त संस्थाओं के अनुरूप अपेक्षित स्तर का हो।

(3) पैरा मैडिकल डिप्लोमा प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु उत्तराखण्ड राज्य चिकित्सा संकाय द्वारा अनुमोदित नियमावली के अनुसार चिकित्सा संकाय की शासकीय निकाय से प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

(v) **जैव प्रौद्योगिकीः**

जैव प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत अनुमोदित समस्त गतिविधियाँ, जिनमें उपकरण, यंत्र–संयंत्र की सहायता से उत्पादन अथवा प्रयोगशाला में जैव प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित कार्य किया जा रहा हो।

5. **संरक्षित कृषि एवं औद्यानिकी, कोल्ड स्टोरेजः**

(1) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड/राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड/कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित/संचालित गतिविधियाँ।

(2) कृषि एवं औद्यानिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अधिसूचित संरक्षित कृषि एवं औद्यानिकी गतिविधियाँ।

(3) सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम मंत्रालय द्वारा ए.एस.आई.सी.सी.–2000 एवं एन.आई.सी.–2004 में वर्गीकृत सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र के पौली हाउसेज/ग्लास हाउसेज/निर्मित शेडों से संरक्षित कृषि उत्पाद, यथाः टिस्यू कल्चर, मशरूम उत्पादन, लाइव ट्रीज, प्लान्ट्स, बल्ब्स, रूट्स, कट फ्लावर, औरनामेंटल तथा हाईड्रोफोनिक्स आदि गतिविधियाँ।

(4) विशिष्ट विधि वातारण नियंत्रण सुविधा से युक्त शीत भण्डार।

6. **पैट्रोल एवं डीजल पम्पिंग स्टेशन, गैस गोदाम:**

(i) श्रेणी–बी में वर्गीकृत पर्वतीय क्षेत्र/जनपद की नगरपालिका/टाउन एरिया से बाहर, जहाँ पर पैट्रोल एवं डीजल पम्प तथा गैस गोदाम की सुविधा पहले से उपलब्ध हो, से न्यूनतम 25 कि.मी. की दूरी पर स्थापित होने वाले पैट्रोल एवं डीजल पम्प तथा गैस गोदाम। श्रेणी–ए के जनपदों में यह दूरी न्यनतम 10 कि.मी. होगी।

(ii) पैट्रोल एवं डीजल पम्प तथा गैस गोदाम की स्थापना के लिये भारत सरकार/राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से उद्यम की स्थापना के लिये नियमानुसार अनुज्ञा प्राप्त की हो।

योजना से व्यवहृत इकाईयॉ एवं पात्रता क्षेत्र	1.	अधिसूचना दिनांक 29 फरवरी, 2008 के प्रस्तर–1 में अधिसूचित सभी विनिर्माणक/उत्पादक तथा सेवा क्षेत्र की चिन्हित उद्यमों, जिनको इस नियमावली में स्पष्ट किया जा चुका है, पर विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में प्रदत्त अनुदान/ रियायतों तथा अन्य प्रोत्साहन सुविधाओं का लाभ अनुमन्य होगा, चाहे वह निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में, संयुक्त क्षेत्र में अथवा सहकारिता क्षेत्र में स्थापित किया गया हो और जिन्होंने स्थापना के लिये सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र अथवा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार से उद्यमिता ज्ञापन पत्र/अनुज्ञा पत्र/वांछित पंजीकरण प्राप्त किया हो। (i) सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम अधिनियम–2006 के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम की स्थापना के लिये उद्यमी ज्ञापन भाग–1 सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र में फाइल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की गई हो। (ii) वृहत उद्यम की स्थापना के लिये भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय(औद्योगिक सहायता सचिवालय) अथवा सम्बन्धित मंत्रालय में आशय पत्र/अनुज्ञा पत्र/एस.आई.ए. पंजीकरण के लिये औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन फाइल कर उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की गई हो। (iii) यह प्रोत्साहन एवं सुविधायें नई औद्योगिक इकाईयों, यदि सम्बन्धित योजनाओं में अन्यथा विनिर्दिष्ट किया गया हो, को ही उपलब्ध होंगी।
नये उद्यम की परिभाषा	1.	**नये उद्यम से तात्पर्य ऐसे उद्यम से है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल, 2008 के पश्चात् की गई हो। उद्यम की स्थापना की तिथि के निर्धारण के लिये निम्नलिखित में से किसी एक या एक से अधिक उपाय, जो भी पहले हो, अभिप्रेत हैं:–** (i) कार्यशाला भवन निर्माण पूर्ण होने की तिथि। (ii) उत्पादन/व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु विद्युत संयोजन प्राप्त करने का दिनांक। (iii) प्रथम कच्चामाल क्रय/तैयार माल विक्रय करने की तिथि। (iv) उद्यम के लिये अपेक्षित किसी संयंत्र तथा मशीनरी की आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ता को निश्चित आदेश दिये जाने का दिनांक। (v) किसी वित्तीय संस्था अथवा वित्त पोषण बैंक द्वारा उद्यम के लिए स्वीकृत ऋण की प्रथम किश्त संवितरित करने का दिनांक।

स्पष्टीकरणः

1. वित्तीय संस्था से तात्पर्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, राज्य सरकार की अनुमोदित वित्तीय संस्था, आई.एफ.सी.आई., आई.सी.आई.सी.आई., आई.डी.बी.आई., सिडबी, नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक तथा भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित वित्त पोषक संस्था/बैंक।
2. उद्यमी द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम अधिनियम–2006 के अन्तर्गत उद्यमी ज्ञापन, भाग–2 फाइल करने का दिनांक।

स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यम

1. स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यम का आशय ऐसे उद्यम से है, जिसके उत्पाद के विनिर्माण/उत्पादन के लिये वांछित प्रमुख कच्चामाल राज्य में उपलब्ध हो तथा कुल प्रयुक्त कच्चेमाल में से स्थापित उद्यम द्वारा कम से कम 30 प्रतिशत कच्चेमाल की सम्पूर्ति वर्ष में राज्य के अन्दर से ही की गई हो।
2. स्थानीय संसाधनों पर आधारित चिन्हित उद्यमों के अन्तर्गत अधिसूचना में प्राथमिक रूप से फल, साग–सब्जी, जड़ी–बूटी इत्यादि का प्रशोधन, प्रसंस्करण व भण्डारण, रामबॉस, चीड़ की पत्ती व अन्य फाइबर आधारित उद्यम, ऊन, रेशम व अंगोरा वस्त्रों का उत्पादन, जैम, जैली, अचार, मुरब्बा, व जूस, शहद, मशरूम, पुष्पकृषि, जैविक खाद्य पदार्थ, मिनरल वाटर, दुग्ध उत्पाद, आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण तथा पुश्तैनी परम्परागत उद्यमों को सम्मिलित किया गया है। कच्चेमाल की उपलब्धता तथा आवश्यकता के आधार पर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति सम्यक् विचारोपरान्त उद्यमों का निर्धारण कर सकेगी।

उत्पादन/व्यवसाय प्रारम्भ करने का दिनांक

उत्पादन/व्यवसाय प्रारम्भ करने के दिनांक से तात्पर्य उस दिनांक से होगा, जब नये स्थापित विनिर्माणक/सेवा उद्यम द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन/व्यवसाय विधिवत् प्रारम्भ कर दिया गया हो, जो कि निदेशक उद्योग/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा प्रमाणित हो।

अचल पूँजी निवेश

अचल पूंजी निवेश से तात्पर्य भूमि, भवन, प्लाण्ट व मशीनरी,, यंत्र–संयंत्र तथा उपकरण पर विनियोजित पूंजी से है, जिसकी गणना निम्नवत् की जायेगी। पूंजी निवेश उपादान सहायता की अनुमन्यता हेतु केवल उद्यम के कार्यशाला भवन/शेड तथा प्लाण्ट–मशीनरी तथा उपस्कर मद में किये गये अचल निवेश की गणना की जायेगी, उद्यम हेतु अर्जित भूमि पर किये गये निवेश को उपादान सहायता हेतु अचल निवेश में नहीं जोड़ा जायेगा।

1. भूमिः–

भूमि की कीमत में उद्योग के लिए जितनी भूमि की आवश्यकता हो उसे क्रय करने में व्यय की गयी वास्तविक धनराशि के अतिरिक्त भूमि के विकास पर, यदि कोई धनराशि व्यय की गयी हो, तो वह भी सम्मिलित की जायेगी। निजी व्यक्ति व संस्था से पट्टे पर ली गयी भूमि की अवधि कम से कम 15 वर्ष होनी चाहिए, परन्तु सरकारी संस्था से ली गयी भूमि के संबंध में लीज अवधि की कोई न्यूनतम सीमा न होगी। लीज से सम्बन्धित व्यय को स्थायी विनियोजन में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। विक्रय/लीज विलेख पंजीकृत होना आवश्यक है।

2. भवनः–

इकाई की कार्यशाला हेतु आवश्यक भवन के क्रय अथवा उसके निर्माण पर किये गये वास्तविक व्यय को भवन का मूल्य माना जायेगा। आवासीय तथा कार्यालय भवनों को भवन में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। किराये के निजी भवन में स्थापित मशीनों, संयंत्रों व उपकरणों पर विनियोजित धनराशि पर उपादान की पात्रता के लिये न्यूनतम 15 वर्ष का पंजीकृत किरायानामा आवश्यक होगा। सरकारी संस्था से लिये गये भवन के मामले में किराये की कोई न्यूनतम अवधि न होगी।

3. मशीनरीः–

मशीनरी, संयंत्र एवं उपकरणों के मूल्य की गणना करते समय जो मशीने, संयंत्र व उपकरण इकाई के कार्यशाला में प्राप्त हो गये हों, उनके मूल्य को सम्मिलित किया जायेगा। प्लाण्ट व मशीनरी के परिवहन व्यय, डेमरेज व बीमा प्रीमियम के व्यय तथा अन्य सहायक उपकरणों जैसेः औजार, जिक्स, डाई, मोल्ड आदि को भी, यदि यह पाया जाता है कि उत्पादन में इनकी वास्तव में आवश्यकता है, मशीनरी के लागत मूल्य में सम्मिलित किया जायेगा, किन्तु कार्यशील पूंजी जैसेः कच्चामाल, उपभोग वाला भण्डार आदि को मशीनरी उपकरण व संयंत्रों के मूल्य में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। विविध परिसम्पत्तियों, जैसेः कार्यालय उपकरण, लाइन चार्जज, ट्रॉसफार्मर, जेनरेटिंग सेट आदि पर अनुदान देय नहीं होगा।

औद्योगिक आस्थान की परिभाषा

1. **औद्योगिक आस्थान का तात्पर्यः राज्य सरकार द्वारा विकसित/अधिसूचित ऐसे क्षेत्र से होगा, जो औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र घोषित किया गया हो।**

(अ) सरकारी औद्योगिक आस्थान से तात्पर्य ऐसे औद्योगिक आस्थान से होगा जो पूर्णतया राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के उपक्रम द्वारा विकसित किया गया हो तथा जिस क्षेत्र को ऐसा घोषित किया गया हो।

(ब) निजी औद्योगिक आस्थान से तात्पर्य ऐसे औद्योगिक आस्थान से होगा जो कि पूर्णतया निजी उद्यमी के स्वामित्व में प्रदेश की औद्योगिक नीति के तहत स्थापित किया गया हो या जो क्षेत्र ऐसे आस्थान/क्षेत्र घोषित किये गये हों।

2. अवस्थापना सुविधाओं के विकास से तात्पर्य भूमि के विकास तथा आस्थान के अंदर ऐसी अधोसंरचनात्मक सुविधायें जिनमें विद्युत, सडक, जलापूर्ति, सम्पर्क मार्ग एवं नालियों का निर्माण भी सम्मिलित है, के सृजन एवं सुदृढ़ीकरण से है।

योजना के अनुमोदन तथा अनुदान सहायता की स्वीकृति की प्रकिया

1. पर्वतीय व सुदूर क्षेत्रों की औद्योगिक स्थिति पर्यावरण एवं सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश के अनुरूप औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के दृष्टिगत स्वीकृत योजनाओं/परियोजनाओं की समय–समय पर समीक्षा, उनमें वांछित संशोधन/संवर्द्धन तथा आवश्यकतानुसार नवीन सुविधाओं/उपायों को योजना में सम्मिलित करने तथा उनके कियान्वयन के लिये औद्योगिक विकास अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–4544/सात–2/98–उद्योग/2007 दिनांक 27 सितम्बर, 2007 से मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति का गठन किया गया है। यह समिति शासनादेश में वर्णित

कार्यों के निर्वहन के लिये उत्तरदायी होगी।

2. विशेष एकीकृत प्रोत्साहन योजनान्तर्गत प्रदत्त अनुदान सुविधाओं/रियायतों की स्वीकृति के लिये राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव/सचिव, औद्योगिक विकास उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन निम्नानुसार होगाः—

(i)	प्रमुख सचिव/सचिव, औद्योगिक विकास उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
(ii)	अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
(iii)	अपर सचिव, पर्यटन/लोक निर्माण विभाग/कृषि एवं औद्यानिकी/ऊर्जा/वन एवं पर्यावरण/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/ प्राविधिक शिक्षा/खेल एवं क्रीड़ा/खाद्य एवं रसद, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
(iv)	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक	सदस्य
(v)	बैंक/वित्तीय संस्थाओं के राज्य स्तरीय अधिकारी	सदस्य
(vi)	अपर निदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड	सदस्य सचिव

इस समिति को रू. 5 लाख से अधिक के अनुदान एवं वित्तीय सहायता के दावे पात्र इकाईयों को स्वीकृत करने का अधिकार होगा।

3. **विशेष एकीकृत प्रोत्साहन योजनान्तर्गत प्रदत्त अनुदान सुविधाओं/रियायतों की स्वीकृति के लिये जिला स्तर पर जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला उद्योग मित्र की** उप समति का गठन **निम्नानुसार होगाः—**

(i)	जनपद के जिलाधिकारी	अध्यक्ष
(ii)	जनपद के मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
(iii)	अग्रणी जिला बैंक प्रबन्धक	सदस्य
(iv)	जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी	सदस्य
(v)	सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थाओं के जिला स्तरीय समन्वयक	सदस्य
(vi)	अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
(vii)	जिला पर्यटन/कृषि/उद्यान अधिकारी	सदस्य
(viii)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
(ix)	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य सचिव

इस समिति को रू. 5 लाख तक के अनुदान एवं वित्तीय सहायता के दावे पात्र इकाईयों को स्वीकृत करने का अधिकार होगा। समिति के अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह यदि चाहें, तो आवश्यकतानुसार अन्य विभागों/संस्थाओं के जिला स्तरीय अधिकारियों को भी बैठक में आमंत्रित कर सकेंगे।

अनुदान की सीमा

1. प्रदेश के मूल अथवा स्थाई उद्यमी द्वारा श्रेणी–बी के जनपदों में नये उद्यम की स्थापना करने पर **श्रेणी–ए** के जनपदों में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहन की सीमा/मात्रा के बराबर अनुदान/छूट अनुमन्य होगी।
2. राज्य पूंजी निवेश उपादान/प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ इस प्रकार दिया जायेगा कि विभिन्न स्रोतों से अचल पूंजी निवेश पर मिलने वाले पूंजी उपादानों की कुल धनराशि उद्यम में लगे अचल पूंजी विनियोजन के 60 प्रतिशत, अधिकतम रू. 60 लाख से अधिक नहीं होगी।

3. विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008 के अन्तर्गत स्थापित ऐसे उद्यम, जिनका उत्पाद/कियाकलाप भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय(औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग) के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1(10)/2001–एनईआर दिनांक 7 जनवरी, 2003 के एनेक्चर–2 में दिये गये थ्रस्ट उद्योगों में सम्मिलित है अथवा जो भारत सरकार से अधिसूचित औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों की भूमि पर स्थापित हों, राज्य सरकार द्वारा दी जा रही अनुदान सहायता तथा प्रोत्साहन सुविधाओं के अतिरिक्त विशेष पैकेज के अन्तर्गत निर्धारित पात्रता पूर्ण करने पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर छूट, केन्द्रीय पूंजी निवेश उपादान सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

नियमावली के प्राविधानों में संशोधन तथा/या छूट/रद्द करने का प्राधिकार

1. **इस नियमावली के संगत प्राविधानों के तहत शासन किसी भी समय**
   (i) इन नियमों में किसी भी प्रकार का संशोधन या उनको रद्द करने,
   (ii) उचित स्तर पर प्रत्येक मामले में गुण–दोष के आधार पर सम्यक् विचारोपरान्त इन नियमों के प्राविधानों को लागू करने में छूट देने, अथवा
   (iii) नियमों के प्राविधानों में अतिरिक्त शर्त आरोपित करने या यदि शासन चाहे, तो प्रत्येक मामले में सम्यक् विचारोपरान्त प्रोत्साहनों को प्रतिबन्धित कर सकेगी।
   (iv) विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008 में प्रदत्त विभिन्न सुविधाओं/सहायताओं के सम्बन्ध में पृथक से भी योजनाओं की गाइड लाइन्स जारी की जायेंगी।

अन्य

1. इस योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में यदि कोई स्पष्टीकरण वांछित होगा, तो ऐसे मामले उद्योग निदेशक उत्तराखण्ड को सन्दर्भित किये जायेंगे तथा उद्योग निदेशक का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा सकेगा।
2. इस नियमावली में निहित किसी भी विषय–बिन्दु पर व्याख्या देने का अधिकार शासन को होगा।
3. अनुदान तथा वित्तीय सहायता से सम्बन्धित अभिलेखों, लेखा–जोखा, सम्बन्धित सूचनाओं के रख–रखाव एवं आडिट आदि के लिये सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र उत्तरदायी होंगे।
4. विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008 में प्रदत्त विभिन्न सुविधाओं/सहायताओं के सम्बन्ध में पृथक से भी योजनाओं की गाइड लाइन्स जारी की जायेंगी।

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 196I (1)/VII-II/150–उद्योग/2008 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमांयू मण्डल, उत्तराखण्ड।
7. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।

8. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे अधिसूचना को साधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 500 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव

3. विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008 के अन्तर्गत स्थापित ऐसे उद्यम, जिनका उत्पाद/कियाकलाप भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय(औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग) के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1(10)/2001–एनईआर दिनांक 7 जनवरी, 2003 के एनेक्चर–2 में दिये गये थ्रस्ट उद्योगों में सम्मिलित है अथवा जो भारत सरकार से अधिसूचित औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों की भूमि पर स्थापित हों, राज्य सरकार द्वारा दी जा रही अनुदान सहायता तथा प्रोत्साहन सुविधाओं के अतिरिक्त विशेष पैकेज के अन्तर्गत निर्धारित पात्रता पूर्ण करने पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर छूट, केन्द्रीय पूंजी निवेश उपादान सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

नियमावली के प्राविधानों में संशोधन तथा/या छूट/ रद्द करने का प्राधिकार

1. **इस नियमावली के संगत प्राविधानों के तहत शासन किसी भी समय**
   - (i) इन नियमों में किसी भी प्रकार का संशोधन या उनको रद्द करने,
   - (ii) उचित स्तर पर प्रत्येक मामले में गुण–दोष के आधार पर सम्यक् विचारोपरान्त इन नियमों के प्राविधानों को लागू करने में छूट देने, अथवा
   - (iii) नियमों के प्राविधानों में अतिरिक्त शर्त आरोपित करने या यदि शासन चाहे, तो प्रत्येक मामले में सम्यक् विचारोपरान्त प्रोत्साहनों को प्रतिबन्धित कर सकेगी।
   - (iv) विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008 में प्रदत्त विभिन्न सुविधाओं/सहायताओं के सम्बन्ध में पृथक से भी योजनाओं की गाइड लाइन्स जारी की जायेंगी।

अन्य

1. इस योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में यदि कोई स्पष्टीकरण वांछित होगा, तो ऐसे मामले उद्योग निदेशक, उत्तराखण्ड को सन्दर्भित किये जायेंगे तथा उद्योग निदेशक का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा सकेगा।
2. इस नियमावली में निहित किसी भी विषय–बिन्दु पर व्याख्या देने का अधिकार शासन को होगा।
3. अनुदान तथा वित्तीय सहायता से सम्बन्धित अभिलेखों, लेखा–जोखा, सम्बन्धित सूचनाओं के रख–रखाव एवं आडिट आदि के लिये सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र उत्तरदायी होंगे।
4. विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008 में प्रदत्त विभिन्न सुविधाओं/सहायताओं के सम्बन्ध में पृथक से भी योजनाओं की गाइड लाइन्स जारी की जायेंगी।

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 1961 (1)/VII-II/123–उद्योग/2008 तद्‌दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
7. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।

8. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे अधिसूचना को साधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 500 प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव